

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

1013

श्री० नि० श्री..... की जांच आख्या के आधार पर
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री..... निवासी.....
तहसील..... जिला.....
उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति
उत्तर प्रदेश लोक सेवा/अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
अधिनियम 1994 की अनुसूची एक के अन्तर्गत प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची दो (अधिसूचना संख्या 22-16-92 का -2/1995 टी० सी० दिनांक 8
दिसम्बर 1995 द्वारा संशोधित से अछादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा
उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..... तहसील.....
नगर..... जिला..... में सामान्यतः रहता है।

स्थान.....
दिनांक.....
मुहर.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....

तहसीलदार.....

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 181093/12412
यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अंशु जादव

श्री रुमालिनाडी पुत्र अंशु जादव
जिला मैनपुरी प्रभाग 270 नाराय पोस्ट अंशु
के निवासी अंशु

समुदाय से सम्बन्धित है। जिसकी पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता भारत सरकार के निम्नलिखित ज्ञापनों के अन्त के अन्तर्गत प्राप्त है।

1. भारत सरकार कल्याण मान्यता के संकल्प संख्या 12011/68/93 बी०सी०सी०(सी) दिनांक 10-9-93 जो भारत के राजपत्र के आसाधारण भाग-1 खण्ड-1 नम्बर 158 दिनांक 13-9-93 में प्रकाशित हुआ है।
2. भारत सरकार कल्याण मान्यता के संकल्प संख्या 12011/9/93 बी०सी०सी०(सी) दिनांक 19-10-94 जो भारत सरकार के राजपत्र के आसाधारण भाग-1 खण्ड-1 नम्बर 163 दिनांक 20-10-94 में प्रकाशित हुआ है।
3. संकल्प संख्या 12011/795 बी०सी०सी० दिनांक 24-5-1995 जो भारत के राजपत्र के आसाधारण भाग-1 खण्ड-1 नम्बर 83 दिनांक 20-5-1995 में प्रकाशित हुआ है।
4. संकल्प संख्या 12011/44/96 बी०सी०सी०(सी) दिनांक 06-12-1996 जो भारत के राजपत्र के आसाधारण भाग-1 खण्ड-1 नम्बर 20 दिनांक 11-12-96 में प्रकाशित हुआ है।

श्री अंशु जादव या उनका परिवार साधारणतया अंशु
प्रदेश मैनपुरी जिला/प्रभाग में रहता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण के कार्यालय ज्ञापन संख्या 38012/22093 स्था-3 (एस०सी०टी०) दिनांक 8-9-1996 प्रति हस्ताक्षर कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों की नीलेयर से सम्बन्धित नहीं है।

संख्या 25-9-9 तहसीलदार मैनपुरी उपजिला मैनपुरी उपायुक्त इत्यादि

"यह प्रमाण पत्र राजस्व परिषद के वेबसाइट <http://bor.up.nic.in> पर इसका क्रमांक अंकित कर सत्यापित किया जा सकता है।"

नोट :- यह प्रमाण पत्र निम्नलिखित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

- 1- जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टीपेन्ड मजिस्ट्रेट/परगनाधिकारी/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक उपायुक्त (जो प्रथम श्रेणी स्टीपेन्डरी मजिस्ट्रेट के पद से कम न हों)
- 2- मुख्य प्रसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/अपर मजिस्ट्रेट मुख्य प्रसीडेन्सी मजिस्ट्रेट/प्रसीडेन्सी मजिस्ट्रेट
- 3- राजस्व अधिकारी जिसका पद तहसीलदार/परगनाधिकारी से कम न हो।
- 4- उस क्षेत्र का एस०डी०ओ० जहाँ पर अर्जकर्ता या परिवार के सदस्य साधारणतया निवास करते हैं।